1217037(2020)

संख्या–472 ई–1/तेरह–2020–18/18टी.सी.

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र. प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक : 24 फरवरी, 2020

विषयः–आबकारी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के निलम्बन आदि की कार्यवाही आरोप–पत्र के साथ सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः यह तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि आबकारी विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के निलम्बन आदि की कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के साथ आरोप–पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं और बिना आरोप–पत्र के निलम्बन आदि की कार्यवाही सम्पादित कर दी जाती है, जिससे प्रभावित अपचारी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मा. उच्च न्यायालय में वाद दायर कर स्थगन आदेश सहजता पूर्वक प्राप्त कर लिये जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है।

अतः कृपया भविष्य में आबकारी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के निलम्बन की कार्यवाही आरोप–पत्र के साथ सम्पादित की जाय तथा किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध निलम्बन का प्रस्ताव शासन में भी आरोप–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाय। यदि विशेष परिस्थितियों में तत्काल निलम्बन किया जाना अपरिहार्य हो तो, विलम्बतम 03 कार्य दिवस के अन्दर अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आरोप–पत्र अभिलेखीय साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

Gen/go/R